राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. निगरानी संख्या–1018/2013/जयपुर
2. निगरानी संख्या–1019/2013/जयपुर
3. निगरानी संख्या–1020/2013/जयपुर

1. कैलाश माहेश्वरी
2. रामावतार माहेश्वरी पुत्रान श्री बद्रीनारायण माहेश्वरी,
जाति महाजन, निवासी ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर ..... प्रार्थीगण.

बनाम

उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, जयपुर ..... अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री बी.एल.शर्मा, अभिभाषक। .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.12.2017

निर्णय

यह तीनों निगरानीयां प्रार्थीगण द्वारा उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'उप पंजीयक'** कहा गया है) द्वारा अधिक आरोपित मांग राशियों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आरोपित मांग राशियों का विवरण निम्नांकित तालिकानुसार किया गया है :–

नि.सं.	क्षेत्रफल	मालियत	स्टाम्प ड्यूटी	रजि. फीस	सरचार्ज	कुल	वसूल की गई राशि	अधिक वसूल की गई राशि
1018/13	106.97 व.मी	86,289	2160	864	86	3110	9718	6608
1019/13	305.36 व.मी	270956	6774	2710	271	9755	30493	20738
1020/13	235.31 व.मी.	189817	4747	1900	190	6837	21364	14527

तीनों निगरानियों में विवादित बिन्दु समान निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी गई है।

तीनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण व उनके बडे भाई राधेश्याम माहेश्वरी की सामलाती पुस्तैनी आबादी भूमि पट्टेशुदा ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर में स्थित है। प्रार्थीगण के बड़े भाई राधेश्याम माहेश्वरी ने अपने सामलाती हिस्से 1/3 को उपहार स्वरूप प्रार्थीगण को दे दिया जिसका उपहार पत्र 17.04.2013 को उप पंजीयक के समक्ष पंजीकृत किये जाने हेतु पेश किया गया। उक्त उपहार पंजीकृत करते समय उप पंजीयक कार्यालय पर तैनात कर्मचारियों ने 1/3 भाग के स्थान पर सम्पूर्ण भाग पर ही स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा सरचार्ज वसूल लिया जिसकी जानकारी मिलते ही प्रार्थीगण ने उप पंजीयक को त्रुटि से अवगत कराया, परन्तु 2–3 दिन के बाद दिनांक 26.04.2013 को कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आई.जी. स्टाम्प अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र देवे वहीं से अधिक वसूली की स्टाम्प राशि वापस मिल सकती है। उपहार पत्र में वर्णित क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से की मालियत तालिकानुसार होती है जिस पर

लगातार..... 2

स्टॉम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, सरचार्ज वसूली योग्य थे जिनके स्थान पर उप पंजीयक द्वारा वसूल लिये गये अर्थात् अधिक तालिकानुसार अधिक वसूल लिये गये। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानियां पेश की गई है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थीगण व उनके बडे भाई राधेश्याम माहेश्वरी की सामलाती पुस्तैनी आबादी भूमि पट्टेशुदा ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर में स्थित है। प्रार्थीगण के बड़े भाई राधेश्याम माहेश्वरी ने अपने सामलाती हिस्सा 1/3 को उपहार स्वरूप प्रार्थीगण को दे दिया जिसका उपहार पत्र 17.04.2013 को उप पंजीयक के समक्ष पंजीकृत किये जाने हेतु पेश किया गया। उक्त उपहार पंजीकृत करते समय उप पंजीयक कार्यालय पर तैनात कर्मचारियों ने 1/3 भाग के स्थान पर सम्पूर्ण भाग पर ही स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा सरचार्ज वसूल लिया। अतः उन्होंने तीनों निगरानियां प्रस्तुत करने हेतु अधिक वसूल की गई राशि को लौटाने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बतलाया कि उप पंजीयक ने उचित रूप से राशियां वसूल की गई है। अतः उन्होंने उप पंजीयक द्वारा वसूल किये गये स्टॉम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, सरचार्ज को उचित बतलाते हुए प्रस्तुत तीनों निगरानियों को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस सुनने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रार्थीगण व उनके बडे भाई राधेश्याम माहेश्वरी की सामलाती पुस्तैनी आबादी भूमि पट्टेशुदा ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर में स्थित है। प्रार्थीगण के बड़े भाई राधेश्याम माहेश्वरी ने अपने सामलाती हिस्से 1/3 को उपहार स्वरूप प्रार्थीगण को दे दिया। दस्तावेजों से स्पष्ट है कि श्री राधेश्याम माहेश्वरी ने सामलाती प्लॉट का 1/3 हिस्सा अपने दो भाईयों को उपहार स्वरूप दिया है जिन पर नियमानुसार उसके हिस्से अर्थात 1/3 भाग पर ही स्टाम्प ड्यूटी देय थी परन्तु सम्पूर्ण प्लॉट की डी.एल.सी. दर से आंकलन कर स्टाम्प ड्यूटी वसूल की गई है, जो उचित एवं विधिक नहीं है। इस संबंध में रिफण्ड हेतु आवेदन करने पर उप–पंजीयक ने मना कर दिया। अतः उक्त प्रकरण कर बोर्ड के समक्ष लाया गया। रिफण्ड के प्रावधान मुद्रांक अधिनियम की धारा 49 में निम्न प्रकार से है :–

49. Power to refund penalty or excess duty in certain cases - (1) Where any penalty is paid under section 39 or section 44, the Chief Controlling Revenue Authority may, upon application in writing made within one year from the date of the payment, refund such penalty wholly or in part.

(2) Where, in the opinion of the Chief Controlling Revenue Authority, Stamp duty in excess of that which is legally chargeable has been charged and paid under section 39 or section 44, such authority may upon application in writing made within three months of the order charging the same, refund the excess.

(3) Where stamp duty in excess of that which is legally chargeable has been charged or paid on the instrument at the time of the registration of such instrument the State

लगातार..... 3

Government or any officer authorized by the State Government by Notification may, upon application in writing made within six months from the date of registration, refund the excess.

रिफण्ड के संबंध में विभाग के मत बाबत् विभागीय परिपत्र क्रमांक–एफ–1(44)(2) लेखा/बजट/स.रि./578–590 दिनांक 23.08.2008 का वर्णन करना समीचीन होगा जिसमें बकाया रिफण्ड प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इसी प्रकार राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1955 के नियम 96ए में भी दस्तावेजों के पंजीयन के समय सही स्टाम्प ड्यूटी लेने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त विधिक प्रावधान में पंजीयन विभाग का यह दायित्व है कि दस्तावेज के मूल्यांकन के आधार पर यदि सही स्टाम्प नहीं है तो इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस विधिक प्रावधान से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रांक कर की गणना की जायेगी तथा यदि मुद्रांक कर आदि कम है तो संबंधित पक्षकार से वसूल किया जायेगा जिसकी प्रक्रिया विभाग के परिपत्र दिनांक 23.08.2008 में दी गई है। इसी प्रकार महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ. 1(5)लेखा/रा.रि/विविध/2015–16/132 दिनांक 08.07.2015 के बिन्दु संख्या 4 में भी पंजीयन शुल्क, मुद्रांक शुल्क एवं सरजार्च आदि की गणना सही है या नहीं इसकी जांच का पूर्ण उत्तरदायित्व एवं पंजीयक लिपिक का बताया गया है तथा रिफण्ड हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त पीयूष अग्रवाल व अन्य बनाम गर्वनमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली निर्णय दिनांक 25.02.2005, 118 (2005) डीएलटी 345 में अवधारित किया गया है कि यदि देय मुद्रांक कर से अधिक की दर से मुद्रांक कर वसूला गया है जो उसे रिफण्ड किया जाना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एवं विश्लेषण के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों निगरानियां स्वीकार की जाकर प्रकरण नियमानुसार रिफण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य